असम-मेघालय सीमा ववािद

प्रलिम्सि के लयि:

असम-मेघालय सीमा ववािद, संवधिान का अनुच्छेद 263

मेन्स के लयि:

अंतर-राज्यीयसीमा ववािद और संबंधति मुद्दे तथा आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

21 जनवरी, 2022 में को मेघालय राज्य के 50वें स्थापना दविस समारोह से पूर्व, गृह मंत्री द्वारा असम-मेघालय सीमा के छह क्षेत्रों में ववािद को समाप्त करने के लयि अंतमि समझौते पर मुहर लगाए जाने की उम्मीद है।

//

प्रमुख बदिु

- **असम-मेघालय सीमा ववािद के बारे में:**
  - असम और मेघालय दोनों राज्य 885 कलिोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। फलिहाल उनकी सीमाओं पर 12 बदिुओं पर ववािद है।
  - असम-मेघालय सीमा ववािद ऊपरी ताराबारी, गज़ांग आरक्षति वन, हाहमि, लंगपीह, बोरदुआर, बोकलापारा, नोंगवाह, मातमुर, खानापारा-पलिंगकाटा, देशदेमोराह ब्लॉक I और ब्लॉक II, खंडुली और रेटचेरा के क्षेत्रों पर हैं।
  - मेघालय को असम पुनर्गठन अधनियिम, 1971 के तहत असम से अलग कयिा गया, यह कानून जसिे मेघालय द्वारा चुनौती दी गई ववािद का कारण बना।
- **ववािद का प्रमुख बदिु:**
  - असम और मेघालय के बीच ववािद का एक प्रमुख बदिु असम के कामरूप ज़लिे की सीमा से लगे पश्चमि गारो हल्सि में लंगपीह ज़लिा है।
  - लंगपीह ब्रटिशि औपनविशकि काल के दौरान कामरूप ज़लिे का हस्सिा था, लेकनि आज़ादी के बाद यह गारो हल्सि और मेघालय का हस्सिा बन गया।

        - असम इसे मकिरि पहाड़यिों (असम में स्थति) का हस्सिा मानता है।
        - मेघालय ने **मकिरि हल्सि** के ब्लॉक I और II पर सवाल उठाया है, जो अब कार्बी आंगलोंग क्षेत्र असम का हस्सिा है। मेघालय का कहना है कि ये तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंतयिा हल्सि ज़लिों के हस्सिे थे।
- **ववािदों को सुलझाने के प्रयास:**
    - **असम और मेघालय दोनों ने सीमा ववािद नपिटान समतियिों का गठन** कयिा है।
    - **सीमा ववािदों को चरणबद्ध तरीके से हल करने के लयि दो क्षेत्रीय समतियिों का गठन** करने का नर्णिय लयिा गया है और सीमा ववािद को हल करते समय पाँच पहलुओं पर वचिार कयिा जाएगा।
        - वे ऐतहिासकि तथ्य, जातीयता, प्रशासनकि सुवधिा, संबंधति लोगों की मनोदशा और भूमसिे नकिटता हैं।
    - पहले चरण में छह स्थलों पर वचिार कयिा जा रहा है। ये **तारावारी, गजिांग, हाहमि, बकलापारा, खानापारा-पलिगिकाटा और रातचेरा** हैं।
    - ये ववािदति क्षेत्र असम की तरफ कछार, कामरूप मेट्रो और कामरूप ग्रामीण तथा मेघालय की तरफ पश्चमि खासी हल्सि, री भोई ज़लि व पूर्वी जयंतयिा हल्सि का हस्सिा हैं।
- **असम और सीमा मुद्दे:**
    - **पूर्वोत्तर के राज्य बड़े पैमाने पर असम से जुड़े** हुए हैं, जसिका कई राज्यों के साथ सीमा ववािद है।
    - अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के साथ असम के सीमा ववािद **सर्वोच्च न्यायालय** में लंबति हैं।
    - **मजिोरम के साथ असम के सीमा ववािद** फलिहाल बातचीत के जरयि समाधान के चरण में हैं।
- **वभिन्नि राज्यों के बीच अन्य सीमा ववािद:**
    - बेलागवी सीमा ववािद (कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य)
    - **ओडशिा सीमा ववािद**

आगे की राह

- राज्यों के बीच सीमा ववािदों को वास्तवकि सीमा स्थानों के उपग्रह मानचत्रिण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर्राज्यीय संवाद (Inter State Dialogues) अंतरराज्यीय परषिद (Inter State Councils) और अधकिरण में वचिार-वमिर्श तथा इस प्रकार के ववािदों को सुलझाने हेतु सहकारी संघवाद की भावना को अपनाने की आवश्यकता है।
    - संवधिान के अनुच्छेद 263 के तहत, अंतर-राज्य परषिद से ववािदों की जांच और सलाह देने, सभी राज्यों के लयि सामान्य वषियों पर चर्चा करने और बेहतर नीतसिमन्वय के लयि सफिारशिें करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसी तरह, प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के लयिए सामान्य चतिा के मामलों पर चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय परषिदों को पुनर्जीवति करने की आवश्यकता है- सामाजकि और आर्थकि योजना, सीमा ववािद, अंतर-राज्य परविहन आदसिे संबंधति मामले।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लयि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

स्रोत- द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/assam-meghalaya-border-dispute